

**OFFICE OF THE PCCF (HOFF), RAJASTHAN, JAIPUR**

F 14(Road)/2014/FCA/PCCF/ 3406

Date: 27.8.18

To

Additional Principle Chief Conservator of Forests  
(Central), Government of India, MOEF & CC  
Regional Office, Central Zone, Pancham Tal, Central Bhavan, Sector H  
Aliganj, Lucknow

Sub :- **Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from  
Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in  
Raj. in Baran Forest Division.reg-Proposal No FP/RJ/Road /6998/2014**

Ref : - Your letter no 8B/Raj/06/17/2015/FC/263 Dated 12.07.2018


Dear Sir,

With reference to above mention subject compliance of your EDS dated 12.07.2018 is based on information provided by CCF/DCF/UA as follows.

क्रमांक	आक्षेप का विवरण	पालना
1	प्रभागीय वनाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी उप वन संरक्षक बांरा द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया गया है संलग्न कर दिया गया है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रपत्र पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप है या नहीं यदि प्रस्ताव की वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो संशोधित प्रपत्र प्रस्तुत करे।	उप वन संरक्षक बांरा के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रपत्र पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप है।

Enclosed: As above

Your's sincerely



(A.K. Singh)  
APCCF Protection &  
Nodal Officer FCA  
Rajasthan, Jaipur


Tel: 0141-2713760 M - 9414045146

Date:

F 14( )/2017/FCA/PCCF/

Copy forwarded for:

- 1- Secretary (Forest), Government of Rajasthan, Jaipur.
- 2- Chief Conservator of Forest, Kota
- 3- Deputy Conservator of Forest, Baran
- 4- Executive Engineer, PWD, Shahbad, Baran

  
APCCF Protection &  
Nodal Officer FCA  
Rajasthan, Jaipur

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल-ccfidp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/ 6134  
निमित्त,

दिनांक : 1/8/2018

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी  
एफसीए राज0 जयपुर।

विषय :- Compliance report of construction of BT road from Ramgarh Kalapatta to  
Karbala Laxmipura RRSMP scheme in Rajasthan.

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/6988/2014)

प्रसंग:- उप वन संरक्षक वारां पत्र संख्या एफ ( )एफसीए/उवसं/2017-18/13427  
दिनांक 25.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय  
कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/17/2015/एफसी/263 दिनांक  
12.07.2018 से प्रकरण में वाही गयी रूचना उप वन संरक्षक वारां ने प्रासंगिक पत्र से प्रेषित की है,  
उक्त पत्रादि की मूल प्रतियां अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवायी जा रही है।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
(अनिल कुमार कपूर)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा



## उप वन संरक्षक, बारां


क्रमांक/एफ ( )/एफ0सी0ए0/2015/13428(Part I)

दिनांक/25.7.2018

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस वन मण्डल के अधीन 2 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु चल रहे ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6988/2014 Road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Lakshmipura में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का कोई उलंघन नहीं हुआ है।

दिनांक: 25.7.2018

  
(राजीव कपूर)  
**राजीव कपूर**  
उप वन संरक्षक  
उप वन संरक्षक  
बारां  
बारां